वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2016-वैशाख 30, शके 1938

## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

## अन्य सूचनाएं

### नाम परिवर्तन

मैं, रविराज सिंह पिता श्री नेपाल सिंह नरवरिया, माता कुसुम नरवरिया शपथ करता हूँ कि पूर्व में त्रुटि से मेरा नाम रविराज सिंह के स्थान पर रवि सिंह नरवरिया लिख दिया गया है. मेरा पूरा नाम रविराज सिंह नरवरिया है. मुझे मेरे पूरे नाम रविराज सिंह नरवरिया से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे. यही मेरा सही नाम है. यही नाम मेरे सभी अभिलेखों में भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

**( रवि सिंह नरवरिया )**
पिता-नेपाल सिंह नरवरिया.

नया नाम :

**( रविराज सिंह नरवरिया )**
पिता-नेपाल सिंह नरवरिया,
निवासी-46, शाकुन्तलम चौपाटी,
पिपलिया मण्डी जिला मन्दसौर (म.प्र.).

(75-बी.)

### CHANGE OF NAME

I, KANTA MANDAN changed my name to after marriage SONIYA DODEJA and now I would be known as SONIYA DODEJA.

Old Name :

**( KANTA MANDAN )**

New Name :

**( SONIYA DODEJA)**
W/o Nimesh Dodeja,
Add—339-M, Khatiwala Tank
Indore (M.P.).

(76-B.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रज्ञा आचार्य के नाम से जानी व पहचानी जाती थी. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर प्रज्ञा बंसल कर लिया है. अत: भविष्य में मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में मेरा परिवर्तित नाम प्रज्ञा बंसल दर्ज किया जाकर पढ़ा जाऐ व प्रज्ञा बंसल नाम से ही जाना व पहचाना जाऐ.

पुराना नाम :

**( प्रज्ञा आचार्य )**

नया नाम :

**( प्रज्ञा बंसल )**
बी-5/ए, गुलमोहर सिटी सेंटर, सिरोल रोड,
ग्वालियर तह., जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(77-बी.)

## उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू प्रजापत पिता साहेबदीन प्रजापत से जाना जाता था, मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राजू कश्यप पिता साहेबदीन कश्यप और भविष्य में भी मुझे राजू कश्यप पिता साहेबदीन कश्यप के नाम से ही जाना जावें.

पुराना नाम :

**( राजू प्रजापत )**

पिता-साहेबदीन प्रजापत.

नया नाम :

**( राजू कश्यप )**

पिता-साहेबदीन कश्यप,
पता-216, राजाबाग कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(78-बी.)

---

## उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी (JITENDRA KUMAR MAHESHWARI)से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित जितेन्द्र हुरकट (JITENDRA HURKAT)हो गया है. अत: मुझे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

**( जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी )**

**( JITENDRA KUMAR MAHESHWARI )**

नया नाम :

**( जितेन्द्र हुरकट )**

**( JITENDRA HURKAT)**
पता-75/क, शंकर नगर 28, वार्ड नम्बर-32,
गंज बैतूल, जिला बैतूल-460001 (म.प्र.).

(79-बी.)

---

## नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सुहास देवरानकर था, जो विवाह उपरान्त श्रीमती श्रृंखला संगीने हो गया है.

पुराना नाम :

**( सुहास देवरानकर )**

नया नाम :

**( श्रृंखला संगीने )**

पता-डी-31, शालीमार गार्डन,
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(82-बी.)

---

## CHANGE OF NAME

I, HAFIZ SALAMAT KHAN here by declare that I have change my name as Salamat Khan. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

**( HAFIZ SALAMAT KHAN)**

New Name :

**( SALAMAT KHAN)**
Add—A-32, 33, Ganesh Nagar Nagjhiri,
Ujjain (M.P.).

(84-B.)

---

## CHANGE OF NAME

I, Rishi Raj Saxena S/o Ex. Sgt. Dharmendra Saxena (IAF), resident of near Gopal Talkies, Sadar Bazar, Bhind (M.P.) solemnly state that my name in father's IAF record is Ashutosh Saxena which I change to Rishi Raj Saxena. In future I must be non as Rishi Raj Saxena.

Old Name :

**( ASHUTOSH SAXENA)**

New Name :

**( RISHI RAJ SAXENA)**
S/o Ex. Sgt. Dharmendra Saxena (IAF),
Resident of near Gopal Talkies,
Sadar Bazar, Bhind (M.P.).

(85-B.)

---

## CHANGE OF NAME

I, Alisha Saxena D/o Ex. Sgt. Dharmendra Saxena (IAF), resident of near Gopal Talkies, Sadar Bazar, Bhind (M.P.) solemnly state that my name in father's IAF record is Vaishnavi Saxena which I change to Alisha Saxena. In future I must be non as Alisha Saxena.

Old Name :

**( VAISHNAVI SAXENA)**

New Name :

**( ALISHA SAXENA)**
D/o Ex. Sgt. Dharmendra Saxena (IAF),
Resident of near Gopal Talkies,
Sadar Bazar, Bhind (M.P.).

(86-B.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती नीरजा बाटले पत्नी श्री लक्ष्मीकांत बाटले, आयु-51 वर्ष, निवासी-22 के. एन. प्रधान स्टेट, बाबडिया कला, भोपाल (म.प्र.) में निवास करती हूँ मेरा विवाह दिनांक 03-11-1995 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार श्री लक्ष्मीकांत बाटले आत्मज श्री सी. आर. बाटले के साथ सम्पन्न हुआ था, विवाह के बाद पतिगृह अनुसार मेरा नाम कुमारी एन. सुरेखा पुत्री स्व. श्री एन. जानकीराम से श्रीमती नीरजा बाटले पत्नी श्री लक्ष्मीकांत बाटले हो गया है और अब में इसी नाम से जानी जाती हूँ एवं सभी कार्य भी इसी नाम से संपादित कर रही हूँ एवं भविष्य में भी करूंगी. विवाह के पूर्व मेरा नाम एन. सुरेखा पुत्री स्व. श्री एन. जानकीराम था और विवाह पूर्व इसी नाम से जानी जाती थी तथा इसी नाम से शिक्षा एवं समस्त कार्य मैंने संपादित किये हैं. एन. सुरेखा पुत्री स्व. श्री जानकीराम एवं श्रीमती नीरजा बाटले पत्नी श्री लक्ष्मीकांत बाटले दोनों एक ही महिला के नाम हैं अर्थात् मेरे स्वयं के नाम हैं. विवाह के पश्चात् मैं समस्त कार्य श्रीमती नीरजा बाटले पत्नी श्री लक्ष्मीकांत बाटले के नाम से संपादित कर रही हूँ. श्रीमती नीरजा बाटले पत्नी श्री लक्ष्मीकांत बाटले, निवासी-22, के. एन. प्रधान स्टेट, बाबडिया कला, भोपाल (म.प्र.).

पुराना नाम : नया नाम :

**( एन. सुरेखा )** **( नीरजा बाटले )**

(87-बी.)

---

## उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूजा सिकरवार पुत्री श्री दाऊदयाल सिकरवार है. मेरी मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम पूजा सिकरवार दर्ज है. विवाह दिनांक 30-04-2015 के बाद अब मेरा नाम मेरे पति के उपनाम के साथ बदलकर श्रीमती पूजा तोमर पत्नी श्री शिशुवेन्द्र सिंह तोमर हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम श्रीमती पूजा तोमर पत्नी श्री शिशुवेन्द्र सिंह तोमर के नाम से ही जाना, पहचान, पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

**( कु. पूजा सिकरवार )** **( पूजा तोमर )**

पत्नी श्री शिशुवेन्द्र सिंह तोमर,
69, इन्द्रमणि नगर, मेला ग्राउण्ड के पीछे,
ग्वालियर (म.प्र.).

(91-बी.)

---

## जाहिर सूचना

**भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 की धारा-72 के अधीन**

सर्व-सूचित हो कि मेसर्स मध्यांचल एसोसियेट, पता-25, एम. पी. नगर जोन-2, भोपाल पंजीयन क्रमांक-147/03-04 में क्रमशः वाय. पी. शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा, श्री सुरेश पचौरी पुत्र स्व. श्री कालिका प्रसाद जी पचौरी, श्री एस. के. खोसला पुत्र डॉ. एस. एल. खोसला, श्री उपमन्यु त्रिवेदी पुत्र डॉ. आर. के. त्रिवेदी भागीदार हैं. दिनांक 01 मई, 2004 से श्री सुरेश पचौरी पुत्र स्व. श्री कालिका प्रसाद जी पचौरी उक्त फर्म से पृथक् हो गये तथा दिनांक 01 मई, 2004 से श्रीमती शारदा शर्मा पत्नी स्व. श्री एम. एल. शर्मा, निवासी-डी. एल. एफ.-8/8, भूतल गुड़गॉव हरियाणा उक्त फर्म में पार्टनर के रूप में समायोजित हुई है.

अतएव दिनांक 01 मई, 2004 से मेसर्स मध्यांचल एसोसियेट पंजीयन क्रमांक-147/03-04 में क्रमशः बाय. पी. शर्मा, पुत्र श्री रामप्रकाश जी शर्मा, श्री एस. के. खोसला पुत्र डॉ. एस. एल. खोसला, श्री उपमन्यु त्रिवेदी पुत्र डॉ. आर. के. त्रिवेदी, श्रीमती शारदा शर्मा पत्नी स्व. श्री एम. एल. शर्मा समस्त फर्म के समान भागीदार हैं.

भवदीय
**अरूण श्रीवास्तव,**
अधिवक्ता.

(83-बी.)

---

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स, मेसर्स रामकृष्ण रामनाथ वर्मा फर्म जिसका पता-दुकान नम्बर-187, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर, गड़बड़ी, इन्दौर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0252/15, दिनांक 02-12-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री रामकृष्ण पिता श्री रामनाथ वर्मा, 2. श्री ऋषि पिता श्री महेन्द्र कुसुमाकर, 3. श्री महेन्द्र पिता श्री नारायण जी कुसुमाकर थे.

तत्पश्चात् दिनांक 02-03-2016 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्रीमती अर्चना पति श्री ऋषि कुसुमाकर भागीदारी फर्म मेसर्स रामकृष्ण रामनाथ वर्मा में सम्मिलित हो गई हैं तथा 1. श्री रामकृष्ण पिता श्री रामनाथ वर्मा एवं 2. श्री महेन्द्र पिता श्री नारायण जी कुसुमाकर भागीदारी फर्म मेसर्स, मेसर्स रामकृष्ण रामनाथ वर्मा से पृथक् हो गये हैं. इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स रामकृष्ण रामनाथ वर्मा से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है.यह विदित हो.

तर्फे-
मेसर्स, मेसर्स रामकृष्ण रामनाथ वर्मा,
**1. ऋषि पिता श्री महेन्द्र कुसुमाकर,**
**2. अर्चना पति श्री ऋषि कुसुमाकर,**
(भागीदार).

(89-बी.)

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. फूड सोल इंडिया छिन्दवाड़ा ग्राम मुरमारी, तह. मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/01/0140/15, सन् 2015-16 है.

इस फर्म का पता जो कि पहले मुरमारी तह. मोखेड़ा था. दिनांक 12-03-2016 से ग्राम अड़वार बी. नं. 01 प. ह. नं. 61 आर. एन. एम. इकलबिहरी तह. मोहखेड़, जिला छिन्दवाड़ा होगा.

सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी.

**प्रकाश साहू,**
(भागीदार).

(81-बी.)

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. आर. डी. व्ही. डी. एण्ड कम्पनी के साझेदारों में दिनांक 01-04-2015 को निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं .—

साझेदार-पूर्व में फर्म में क्रमशः निम्न छः साझेदार थे:—

- श्री भगवती प्रसाद सिंघल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 47 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 37 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्रीमती साधना सिंघल पत्नी श्री भगवती प्रसाद सिंघल, आयु 46 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री राजेश कुमार गुप्ता, आयु 36 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- कौशल कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप गुप्ता, आयु-44 वर्ष, निवासी-34 सत्यदेव नगर, गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).
- बी. एन. मंगल पुत्र स्वर्गीय श्री चतुर्भुज प्रसाद मंगल, आयु-72 वर्ष, निवासी-17 ए, पुरानी विवेकानंद कॉलोनी, बलवंत नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

परन्तु फर्म में निम्न दो साझेदारों ने निजी कारणों से दिनांक 01-04-2015 से फर्म से स्वयं को पूर्ण रूप से अलग कर लिया है. शेष 4 साझेदार यथावत् रहेंगे तथा भविष्य में फर्म का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जावेगा.

- कौशल कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप गुप्ता, आयु-44 वर्ष, निवासी-34, सत्यदेव नगर, गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).
- बी. एन. मंगल पुत्र स्वर्गीय श्री चतुर्भुज प्रसाद मंगल, आयु-72 वर्ष, निवासी-17 ए, पुरानी विवेकानंद कॉलोनी, बलवंत नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार का ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिन के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर सम्पर्क करें एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावें. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन को पंजीकृत करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

प्रेषक
**शैलेष गर्ग,**
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
ग्वालियर (म.प्र.).

दिनांक-23-03-2016

(90-बी.)

## सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रूद्र इण्डस्ट्रीज, पता-38-ए, प्रथम तल, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00088/14, दिनांक 31-05-2014 को पंजीयन कार्यालय भोपाल में पंजीकृत है एवं दिनांक 01-04-2016 को फर्म के भागीदार श्री सुशील खले पुत्र श्री मदन मोहन खले, पता-21/1, शांति निकेतन, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म की भागीदारी से पृथक् (अलग) हो रहे हैं सर्वजन एवं आमजन को सूचित हों.

फर्म-मैसर्स रूद्र इण्डस्ट्रीज,
**देवेन्द्र गुप्ता,**
(भागीदार)
बी-37, सेक्टर बी, शाहपुरा भोपाल.

(92-बी.)

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म ''मैसर्स वेदान्त सीड्स एण्ड बायोटेक'' जिसका पंजीयन क्रमांक 07/34/01/0123/15, सन् 2014-15, दिनांक 09-03-2015 है. इस फर्म में श्री सुरेश मेहता पुत्र श्री चम्पालाल मेहता को दिनांक 01-04-2015 को भागीदारी फर्म में प्रवेश दिया गया है. इस फर्म का गठन 05-12-2014 को किया गया था.

निवेदक-वेदान्त सीड्स एण्ड बायोटेक,
**भारत जाजू,**
शॉप नं. 6, प्रायवेट बस स्टेण्ड के पास, नीमच.

(93-बी.)

---

## NOTICE

### U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s. B.M. REALTY" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00470/14, Dated 12/02/2014 undergone the following changes:-

1. That Shri Praveen Kumar Himthani S/o Late Shri Harish Himthani has joined the firm and Shri Manoj Sabhnani S/o Shri Ghanshyamdas Sabhnani desire to retire from the partnership firm w. e. f. 18/06/2015.

"M/s. B.M. REALTY"
**RAJKUMAR HIMTHANI,**
**(Partner).**
Flat No. 7, Second Floor, Plot No. 44,
M.P. Nagar, Zone-2, Bhopal.

(80-B.)

---

## NOTICE

### U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm " M/s. Windsor Infra" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00366/13, Dated 13/12/2013 undergone the following changes:-

1. That Smt. Rajwant Kaur W/o Late Shri Narender Jeet Singh desire to retire from the partnership firm w. e. f. 25/07/2014.

" M/s. Windsor Infra"
**VIRENDRA PAL SINGH,**
**(Partner).**
KH 101/1/2, Rasulia Jagir,
Opp. GIP Mall, Kolar Road, Bhopal.

(88-B.)

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

**( फॉर्म-चार )**

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1)के श्री अरूण वैद, पता-110, शांति निकेतन कॉलोनी, बेहिंद बाम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा SJV CHARITABLE TRUST कार्यालय पता-110, शांति निकेतन कॉलोनी, बेहिंद बाम्बे हॉस्पिटल इन्दौर, मध्यप्रदेश जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | SJV CHARITABLE TRUST |
| पता | : | कार्यालय-110, शांति निकेतन कॉलोनी,<br>बेहिंद बाम्बे हॉस्पिटल इन्दौर, (म.प्र.). |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| चल सम्पत्ति | : | रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र). |

आज दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

**अजीत कुमार श्रीवास्तव,**
पंजीयक.

(343)

---

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) एवं पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

**समक्ष**-रजिस्ट्रार, पब्लिक, जिला राजगढ़.

जैसाकि आर. सी. जैन पिता स्व. श्री दयाचन्द जैन, निवासी-21-ए उद्भव नगर राजगढ़, तहसील राजगढ़ के द्वारा श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगम्बर जैन मंदिर धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट पी. टी. कम्पनी राजगढ़, तहसील व जिला राजगढ़ के ट्रस्ट हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाये सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगम्बर जैन मंदिर धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट पी. टी. कम्पनी, राजगढ़. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | पी. टी. कम्पनी राजगढ़ में प्लाट, साईज 50×30=1500 वर्गमीटर. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | भारतीय स्टेट बैंक राजगढ़ में ट्रस्ट के नाम बचत बैंक खाता 53034214488 में जमा राशि 15435/- रुपये इसी प्रकार एक्सिस बैंक राजगढ़ में बचत बैंक खाता में 60260/- रुपये जमा |

**कमलेश भार्गव,**

(344) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

---

## न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 03/2015-16/बी-113(1). ग्वालियर, दिनांक 02 मई, 2016

**प्रारूप-4**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा 2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री हरनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री रामदुलारे शर्मा, निवासी-371, जीवाजी नगर ठाठीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने "श्री राधाकृष्ण सेवा न्यास" स्थित 371, जीवाजी नगर ठाठीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 10 मई, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 10 मई, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

## अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

| | | |
|---|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता | : | "श्री राधाकृष्ण सेवा न्यास" 371, जीवाजी नगर ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.). |
| 2. चल सम्पत्ति | : | 5000/- रुपये. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

**अखिलेश जैन,**

(345) पंजीयक.

## न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर

प्र.क्र. 01/बी-113/2015-16.

**प्रारूप-पांच**

[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत]

**समक्ष**-पंजीयक, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष.

आवेदक अध्यक्ष, गेहलोत मेवाडा राजपूत समाज, पारमार्थिक शैक्षणिक न्यास, शुजालपुर, तहसील शुजालपुर के द्वारा मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 27 मई, 2016 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 1 माह के अंदर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1. न्यास का मुख्यालय-वार्ड क्रमांक 14, शासकीय जे. एन. एस. कॉलेज के पास, शुजालपुर मण्डी, तहसील शुजालपुर.
2. कार्यक्षेत्र-शुजालपुर, तहसील-शुजालपुर,जिला-शाजापुर (म.प्र.).
3. न्यास का उद्देशय-धार्मिक एवं पारमार्थिक.
4. न्यास के आय के साधन-दान आदि.

(चल व अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है )

| | | |
|---|---|---|
| चल सम्पत्ति | : | 5 पंखे, 1 अलमारी, 1 ट्यूबवेल मोटर अनुमानित मूल्य 25,000/- एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा अकोदिया के खाता क्रमांक 171000922851 में राशि 5000/- जमा. |
| अचल सम्पत्ति | : | कृषि भिन्न आशय की कस्बा शुजालपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 363/2 रकबा 0-546 हे. में से 0.093 हे. 10000 वर्गफीट निर्मित. |

**गिरीश कुमार मिश्रा,**
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(346)

---

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, खाचरौद, जिला उज्जैन

प्र.क्र. 02/बी-113/2013-14. दिनांक 23 मार्च, 2015

[धारा-5 (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (क्रमांक 30 सन् 1951) और (5) संशोधित 1952 के अंतर्गत]

क्र./68/रीडर/15.—आवेदन प्रवीण कुमार जैन (भटेवरा) पिता स्व. श्री मन्नुलालजी भटेवरा, निवासी-भटेवरा गली खाचरौद अध्यक्ष द्वारा श्री श्वेताम्बर जैन भटेवरा स्थानकवासी न्यास, खाचरौद को सार्वजनिक न्यास पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के तहत प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर न्यायालयीन कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि पश्चात् किसी भी दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

## ( परिशिष्ट )

(लोक न्यास का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण )

लोक न्यास का नाम : श्री श्वेताम्बर जैन भटेवरा स्थानकवासी न्यास, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.).

अचल सम्पत्ति : 1. भवन क्रमांक 101, जवाहर मार्ग तथा उससे लगी गली का भाग खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.).

2. भवन क्रमांक 156, महात्मा गाँधी मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.).

दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**राजीव रंजन मीणा,**

(347) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

---

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, मैहर

प्र.क्र. 1बी/113/2015-16. दिनांक 27 अप्रैल, 2016

**( देखें नियम )**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम (1) के तहत्]

जा.क्र./1827/05/05/16.—चूंकि अंनत श्री विभूषित परमहंस स्वामी श्री नीलकण्ठ (नारायणदास जी ) महाराज आध्यात्मिक एवं जन-कल्याणकारी लोक न्यास श्री नीलकण्ठ आश्रम, गोविन्द बाग ओईला, तह. मैहर, जिला सतना द्वारा-अंनत श्री विभूषित परमहंस स्वामी श्री नीलकण्ठ (नारायणदास जी) महाराज आध्यात्मिक एवं जन-कल्याणकारी लोक न्यास श्री नीलकण्ठ आश्रम, गोविन्द बाग ओईला, तह. मैहर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 26 मार्च, 2016 को विचार में लिया गया है, कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

## अनुसूची

लोक न्यास का नाम : अंनत श्री विभूषित परमहंस स्वामी श्री नीलकंठ (नारायणदास जी) महाराज आध्यात्मिक एवं जन-कल्याणकारी लोक न्यास श्री नीलकण्ठ आश्रम, गोविन्द बाग ओईला, तहसील मैहर, जिला सतना मध्यप्रदेश.

पता : श्री नीलकण्ठ आश्रम, गोविन्द बाग ओईला, तह. मैहर, जिला सतना मध्यप्रदेश.

चल सम्पत्ति : निरंक.

अचल सम्पत्ति : यह कि ट्रस्ट के पास अचल सम्पत्ति निम्न तरीके से है:-

(ए) ग्राम वैला खास प. ह. नं. 22 जीतनगर स्थित आराजी नम्बर 291, 296, 297, 298, 311,313/1,314/2, 315/1,315/2,316/1, 316/2,317 एवं ग्राम वैलाखास प. ह. नं. 47 बरही स्थित आराजी नम्बर 304, 305, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 302, 303, 353/290, 299, 300 एवं ग्राम परसोखा प. ह. नं. 23 बरही स्थित आराजी नम्बर 234/1/2,235/1/3, 236/1,236/2, 237/1क, 237/1ख, 234/1/1, 235/1/1, 246 व 357/246 कुल आराजी 40 किता कुल रकवा 10.836 हेक्टेयर है.

(बी) ग्राम भाटादौन राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित आराजी नम्बर 14 व 21 तथा ग्राम खितौला राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित आराजी नंबर 248,206/1ज, 206/1च कुल आराजी 5 किता कुल रकवा 2.742 हैक्टेयर है.

(सी) ग्राम कुम्ही प. ह. नं. 87 रा. नि. मं. मझगवां, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित आराजी नम्बर 15/1, 16, 26, 172, 204, 311, 315, 359, एवं ग्राम देवरी प. ह. नं. 27 रा. नि. मं. मझगवां, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर स्थित आराजी नंबर 856 व ग्राम विलायतकलॉ प. ह. नं. 68 रा. नि. मं. बडवारा, तहसील बडवारा, जिला कटनी मध्यप्रदेश स्थित आराजी नम्बर 496 कुल आराजी 10 किता कुल रकवा 8.320 हैक्टेयर है.

(डी) (1) ग्राम ओईला, तहसील मैहर गोविन्द बाग स्थान में स्थायी सम्पत्ति के रूप में स्थित मूर्तियों में स्वामी नीलकंठ महाराज की समाधी स्थल जिस पर समाधिस्थ स्वामी श्री नीलकण्ठ महाराज की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई लगभग 3 फीट चौड़ाई 2 फिट है.

(2) श्री लक्ष्मी जी एवं श्री नारायण भगवान का मंदिर जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अष्टधातु की मूर्तियां ऊंचाई 7, 1/4 फिट वजन 2 टन है.

(3) श्री शिव मंदिर जिसमें पत्थर के भगवान शिव लिंग जिलहरी सहित एवं गणेश जी तथा नंदी की मूर्ति ( श्री लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर के सामने).

(4) भइया ढेलाराम जी का मंदिर जिसमें श्री ढेलाराम जी की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई लगभग 2 फिट.

(5) भइया ढेलाराम जी का मंदिर जिसमें श्री ढेलाराम जी की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई लगभग डेढ फिट.

(6) यज्ञ शाला होम कर्म हेतु.

(7) स्वामी श्री नीलकण्ठ महाराज का विश्राम कक्ष मय समस्त फर्नीचर.

(8) ज्ञान-गुदडी (हाल में स्थित) माँ दुर्गा जी की अठारह भुजा वाली शेर पर सवार अष्ट धातु की मूर्ति कुल वजन 2 टन कुल ऊंचाई 6.5 फुट मूर्ति के पीछे की तरफ धातु के आर्च सहित.

(9) श्री गौरी शंकर भगवान की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई लगभग 4.5 फुट.

(10) श्री राम जानकी भगवान की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 4.5 फुट.

(11) स्वामी श्री नीलकण्ठ महाराज की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई लगभग 4.5 फुट.

(12) श्री राधाकृष्ण भगवान की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 4.5 फुट.

(13) माँ दुर्गा जी की अष्ट भुजी संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 4.5 फुट.

(14) श्री गणेश जी की अष्ट धातु की मूर्ति ऊंचाई 3.5 फुट.

(15) माँ काली माता की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 3 फुट.

(16) उदासीन सम्प्रदाय के परमाचार्य श्री चन्द्र भगवान की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 3 फुट.

(17) श्री हनुमान जी की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 4.5 फुट.

(18) अष्ट धातु की शिव लिंग जिलहरी सहित ऊंचाई 3.5 फुट.

(19) श्री नन्दी जी की संगमरमर की मूर्ति.

(ई) (1) स्वामी श्री नीलकण्ठ आश्रम लखराम बाग खितौला, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश स्थित भइया ढेलाराम जी मंदिर सम्पति/मूर्तियां में माँ दुर्गा जी संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 5.5 फुट.

(2) श्री भइया ढेलाराम की मूर्ति ऊंचाई लगभग 2 फुट.

(3) श्री शिव पार्वती की संगमरमर की मूर्तियां दोनों की ऊंचाई 4.5 फुट.

(4) श्री शिवलिंग जिलहरी सहित काला पत्थर की मूर्ति ऊंचाई 4.5 फुट.

(5) श्री नंदी जी की काले पत्थर की मूर्ति ऊंचाई 2.5 फुट.

(6) श्री राधाकृष्ण जी की संगमरमर की मूर्तियां ऊंचाई लगभग 5.5 फुट.

(7) श्री लक्ष्मी नारायण जी की संगमरमर की मूर्तियां ऊंचाई 5.5 फुट.

(8) स्वामी श्री नीलकण्ठ महाराज की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 3.5 फुट.

(9) श्री राम-जानकी जी की संगमरमर की मूर्तियां ऊंचाई 5.5 फुट.

(10) श्री हनुमान जी की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 5.5 फुट.

(11) छोटा शिव लिंग एवं गणेश जी की मूर्ति

(12) यज्ञ शाला.

(एफ) (1) स्वामी श्री नीलकण्ठ आश्रम कुम्ही (सत्धारा) सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर जिसे श्री राधा कृष्ण कुटी/मदन मोहन भगवान मंदिर/गोविन्द भगवान मंदिर कहा जाता है, में स्थित श्री राधाकृष्ण जी की अष्ट धातु की मूर्तियां ऊंचाई 1.5 फुट.

(2) श्री गणेश जी की धातु की मूर्तियां ऊंचाई 3 फुट.

(3) श्री नीलकण्ठ महाराज जी की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 3.5 फुट.

(4) श्री लक्ष्मी नारायण जी की संगमरमर की मूर्तियां ऊंचाई 5.5 फुट.

(5) श्री शिव-पार्वती जी की संगमरमर की मूर्तियां ऊंचाई 4.5 फुट.

(6) श्री राधाकृष्ण जी की संगमरमर की मूर्तियां ऊंचाई 5.5 फुट.

(7) श्री राम-जानकी जी की संगमरमर की मूर्तियां ऊंचाई 5.5 फुट.

(8) श्री दुर्गा जी की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 5.5 फुट.

(9) श्री हनुमान जी की संगमरमर की मूर्ति ऊंचाई 5.5 फुट.

**सुरेश कुमार अग्रवाल,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(348)

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण, वनमण्डल, शहडोल

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-**

परिक्षेत्र अधिकारी शहडोल के अंतर्गत बीट ऐताझर नीलगिरी कूप कक्ष पी. एफ. 772 रकबा 56.870 हे. क्षेत्र में वर्ष 1970-75 में रोपण किया गया था. जिसका विदोहन वर्ष 2014-15 में होना ड्यू था. ड्यू कूप विदोहन हेतु पासिंग हैमर प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी शहडोल ने अपने पत्र क्रमांक/1656, दिनांक 18 सितम्बर, 2015 से इस कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. कि श्री रामजी चतुर्वेदी बीटगार्ड ऐताझर द्वारा कार्य के दौरान जंगल में कहीं हैमर गुम हो गया है. काफी छानबीन करने के बावजूद भी हैमर का कहीं पता नहीं चला. जिसकी सूचना थाना प्रभारी सिहपुर में दिनांक 31 अगस्त, 2015 को रिर्पोट दर्ज कराया गया था. बीटगार्ड ऐताझर के उक्त कृत्य के लिये कार्यालयीन पत्र क्रमांक/माचि/8689, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है. तत्संबंध में तत्कालीन बीटगार्ड ऐताझर द्वारा प्रतिउत्तर परिक्षेत्र अधिकारी गोहपारू के कार्यालयीन पत्र क्र./1494, दि. 26 अक्टूबर, 2015 से जवाब प्रस्तुत किया गया है. प्राप्त उत्तर का अवलोकन करने पर पाया गया कि तत्का. बीटगार्ड ऐताझर द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही व असावधानी बरतने के कारण अपने आपको भागी बनाया गया है.

अत: उक्त हैमर न मिलने की स्थिति में यह आदेश देता हूँ कि:-

**आदेश**

दिनांक 20 जनवरी, 2016

आ.क्र./स्था./34.—वन वित्तीय नियम की धारा-124 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित हैमर को अपलेखित किया जाता है तथा श्री रामजी चतुर्वेदी, तत्का. बीटगार्ड ऐताझर से उक्त हैमर का मूल्य रु. 500.00 (रुपये पांच सौ) मात्र एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.

192
S S

श्री रामजी चतुर्वेदी तत्कालीन बीटगार्ड ऐताझर को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत् के चारित्रक चेतावनी दी जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिलता है तो उसे निकटतम थाने या वन विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा कर दें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उनके विरूद्ध नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

**देवांशु शेखर,**
वन मण्डलाधिकारी.

(349)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1270.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनी, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./919, दिनांक 26 अप्रैल, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रांरभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/349, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 439 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनी, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(350)

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1271.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., स्यावरी, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./ 918, दिनांक 26 अप्रैल, 2002 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रांरभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/347, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 438 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., स्यावरी, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(350-A)

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1272.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबका, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./398, दिनांक 18 मार्च, 1984 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रांरभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/353, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 441 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबका, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(350-B)

---

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1273.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनगंवा जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./396, दिनांक 03 नवम्बर, 1981 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रांरभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/357, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 442 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रनगंवा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(350-C)

---

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1274.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुपावली, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./896, दिनांक 29 मार्च, 2000 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रांरभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/355, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 441 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुपावली, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(350-D)

---

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1275.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरियामोदी, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./968, दिनांक 12 अगस्त, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रारंभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/350, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 439 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरियामोदी, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(350-E)

---

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1276.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिकटोली, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./511, दिनांक 07 दिसम्बर, 1989 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रारंभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/351, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 440 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिकटोली, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(350-F)

---

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1277.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडेराफुटकर, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./397, दिनांक 03 नवम्बर, 1981 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रारंभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/356, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 442 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडेराफुटकर, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(350-G)

---

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1278.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रायरू, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू. आर./964, दिनांक 17 जुलाई, 2004 है, के प्रभारी अधिकारी श्री विजय दीक्षित पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा संस्था के वर्तमान में प्रारंभव न होने की स्थिति में न होने एवं निर्वाचन कराने में संस्था की रूचि न होने के विषय में अवगत कराये जाने के कारण संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./16/348, दिनांक 29 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई होने का भी अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 438 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रायरू, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**संजय दलेला,**
उप-पंजीयक.

(350-H)

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार

धार, दिनांक 12 अप्रैल, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., साकल्दा

द्वारा- प्रशासक कमेटी

क्र./परि./2016/616.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., साकल्दा, तह. धरमपुरी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 15 जुलाई, 1996 है, कार्यालयीन जानकारी अनुसार संस्था वर्तमान में सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) में निम्नानुसार प्रावधान है:—

(2) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से, किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा.

(ए/क) जहां उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो, या

(बी/ख) जहां रजिस्ट्रार की राय में वह सोसाइटी मुख्यत: किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य करती रही हो, या

(सी/ग) जहां उस सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन की किन्ही ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो.

संस्था के पंजीयन पश्चात् निम्न स्थिति वैधानिकता के प्रतिकूल पाई गई.

यह कि कलेक्टर जिला धार के आदेश क्र./म./शि./2187, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 से संस्था में कार्यक्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को सदस्य बनाये जाने की जांच हेतु तीन सदस्यी गठित कमेटी में उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, तहसीलदार मनावर व सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला धार थे. इनके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में संस्था में 55 में से 36 सदस्य कार्यक्षेत्र के बाहर के सदस्य बनाये जाने व कार्यक्षेत्र के डूब प्रभावित व्यक्तियों की सदस्यता नहीं होने संबंधी घोर अनियमितता पाई थी.

यह कि जांच कमेटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 व संस्था उपविधि का घोर उल्लंघन भी पाया था, जिसमें संचालक मंडल की विधि अनुसार बैठकें नहीं होना. कोरम का आभाव होना, संचालकों द्वारा अपात्रता धारण करना, वर्ष 1996 से वर्ष 2006 तक लगातार आमसभा आयोजित होना नहीं पाया गया, समिति के सदस्यों द्वारा मत्स्य आखेट नहीं करना या शंकास्पद होना, डूब प्रभावितों का प्रमाण-पत्र नहीं देना, अध्यक्ष के पद हेतु अपात्र होना, संस्था का रिकॉर्ड एवं आवश्यक पंजियां संधारित नहीं होना, विभागीय निर्देशों का पालन नहीं होना, समिति द्वारा भ्रामक व असत्य जानकारी देना आदि आरोप कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./विधि/2008/73, धार, दिनांक 09 जनवरी, 2008 से सुनवाई का अवसर एवं पक्ष समर्थन होने के पश्चात् सभी आरोप प्रमाणित होने से कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2008/193, धार, दिनांक 28 जनवरी, 2008 से तात्कालीन व्यवस्था के तहत प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी को अतिष्ठान में लाया जाकर सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अतिष्ठित बोर्ड द्वारा न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, संभाग इन्दौर में अपील प्रकरण क्र. 14/2008 से अपील की गई थी. माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2012 में उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के उक्त पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2008 विधिसम्मत् पाये जाने की पुष्टि की तथा आदेश यथावत् रखा.

यह कि उक्त जांच एवं धारा-53 (1) में प्रमाणित पाये गये आरोपों यथा 55 सदस्यों में से 36 सदस्य कार्यक्षेत्र के बाहर के होकर अपात्र पाये जाने, रिकॉर्ड संधारित नहीं होने, पात्र सदस्यों को संस्था से वास्तविक लाभ होना प्रमाणित नहीं होने, शेष पात्र रहे 18 सदस्यों से पंजीयन की आवश्यक शर्त 20 विभिन्न परिवारों के सदस्य होने की पूर्ति नहीं होने, इन 18 सदस्यों में से भी 07 सदस्य संचालक/अध्यक्ष होने व इनके द्वारा धारा-53 (1) में पाये गये आरोपों के अनुसार अधिनियम, नियम, उपविधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जाने व शेष 11 सदस्यों द्वारा भी उक्त अनियमितताओं के विरुद्ध कोई जागृति/रुचि नहीं होने से संस्था का दुर्व्यपदेशन से पंजीयन होना सदस्यों के हित में संपरिवर्तित नहीं होना प्रमाणित होता है.

यह कि संस्था द्वारा वर्ष 2008 से अनियमितताओं के कारण कोई तालाब पट्टे पर आवंटित नहीं हुआ व उक्त तालाब वर्तमान में आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जामन्याखुर्द को वर्ष 2025 तक आवंटित होने से संस्था को कार्य उद्देश्य की पूर्ति भी विगत 08 वर्षों से नहीं होकर आगामी 09 वर्षों तक उक्त गठित तालाब पर उद्देश्य की पूर्ति होना संभव नहीं है.

यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2012/1753, धार, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) से संस्था का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था, जिसे माननीय न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, संभाग इन्दौर ने दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को अपील प्रकरण क्र. 32/2015 में उक्त पंजीयन निरस्ती आदेश इस आधार पर निरस्त किया कि उक्त धारा में उप-पंजीयक को अधिकार प्रत्यायोजित नहीं हुए थे. परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती के उक्त पाये जा रहे ठोस तथ्य यथावत मौजूद हैं.

उपरोक्त स्थिति जो धारा-69 (2) (ए/क), (बी/ख), (सी/ग) की पूर्ति करना, कार्यालयीन विधि आदेशों, न्यायालयीन निर्णयों से भी पुष्टि हो चुकी है. अत: संस्था पंजीयन शर्तों के विपरीत होकर अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन पश्चात् अनेक वर्षों तक संचालित नहीं होने व भविष्य में भी उद्देश्यों की पूर्ति होना संभावित नहीं होने से परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

**ओ. पी. गुप्ता,**
उप-रजिस्ट्रार.

(351)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1604/दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा पुरी ईंधन आपूर्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1631 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पुरी ईंधन आपूर्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1631 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(352)

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपज/परि./2016/1182.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि./1528/दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा नरसिंह खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1751 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नरसिंह खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1751 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**शिवम मिश्रा,**
उप-पंजीयक.

(352-A)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/686.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 426, दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा पक्षीधन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., खेड़ा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 824, दिनांक 20 मार्च, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अंतर्गत पक्षीधन कुक्कुट पालन सहाकरी संस्था मर्या., खेड़ा का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(353)

देवास, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/687.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1603, दिनांक 21 जुलाई, 2014 के द्वारा श्रद्धा कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., जगदीशपुर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 08 मार्च, 2016 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अंतर्गत श्रद्धा कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., जगदीशपुर का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(353-A)

देवास, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/688.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1260, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के द्वारा अटल कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1222, दिनांक 06 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अंतर्गत अटल कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(353-B)

---

देवास, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/689.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 28 नवम्बर, 2013 के द्वारा अनुसूचित जाति कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1336, दिनांक 08 अगस्त, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अंतर्गत अनुसूचित जाति कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., देवास का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(353-C)

---

देवास, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/690.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1253, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरिया पेटे, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 06 जनवरी, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरिया पेटे का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(353-D)

---

देवास, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/691.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1245, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलरांवा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलरांवा का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(353-E)

---

देवास, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/692.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2167, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा माँ चामुण्डेश्वरी कुटकुट पालन सहकारी संस्था मर्या., अगेरा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1205, दिनांक 01 जनवरी, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अंतर्गत माँ चामुण्डेश्वरी कुटकुट पालन सहकारी संस्था मर्या., अगेरा का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

**के. एन. त्रिपाठी,**
उप-पंजीयक.

(353-F)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 11 अप्रैल, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देंदला,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1132, दिनांक 22 नवम्बर, 2014, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/366.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन दिया गया है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्धेश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

3. निर्वाचन अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अत: मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 12 मई, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(354-A)

---

शाजापुर, दिनांक 11 अप्रैल, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भंवरासा,

तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1180, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/367.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन दिया गया है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्धेश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

3. निर्वाचन अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अत: मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 12 मई, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(354-B)

---

शाजापुर, दिनांक 11 अप्रैल, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखेडी,

तहसील गुलाना, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1124, दिनांक 11 नवम्बर, 2014, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/368.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन दिया गया है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्धेश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 12 मई, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

**मीना डाबर,**
उप-पंजीयक.

(354-C)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ग्रामीण मत्स्यो. सह. समि., शाहगढ़ | 1128/12-07-2004 | शाहगढ़ | 762/15-03-2016 |
| 2. | मत्स्य उत्पादन सह. समि., हनोता सहावन | 1143/17-08-2004 | शाहगढ़ | 771/15-03-2016 |
| 3. | आदिवासी मत्स्यो. सह. समि., बीलाग्राम | 431/10-03-1987 | शाहगढ़ | 772/15-03-2016 |
| 4. | हरिजन मछुआ सह. समि., बीलाग्राम | 752/16-08-1999 | शाहगढ़ | 773/15-03-2016 |
| 5. | महि. बहु. सह. समि., लुड़ियारा | 1315/15-07-2008 | शाहगढ़ | 795/15-03-2016 |
| 6. | महि. बहु. सह. समि., सेमरा सानोधा | 1001/26-12-2002 | शाहगढ़ | 797/15-03-2016 |
| 7. | कृषक कल्याण सह. समिति, शाहगढ़ | 126/27-08-2002 | शाहगढ़ | 874/15-03-2016 |
| 8. | नवलउ दुग्ध सह. समि., नवलउ | 1384/09-02-2011 | शाहगढ़ | 900/16-03-2016 |
| 9. | सह. विप. एवं प्रक्रिया सह. स., शाहगढ़ | 118/29-06-1999 | शाहगढ़ | 921/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(355)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आदिवासी मछुआ सह. समि., तालपोह | 876/17-07-2002 | बण्डा | 770/15-03-2016 |
| 2. | महि. बहु. सह. समि., बम्होरी जगदीश | 1092/16-02-2004 | बण्डा | 779/15-03-2016 |
| 3. | महि. बहु. सह. समि., पनारी | 1123/16-06-2004 | बण्डा | 786/15-03-2016 |
| 4. | महि. बहु. सह. समि., टेटवारा | 968/28-09-2002 | बण्डा | 799/15-03-2016 |
| 5. | प्रभुश्री बीड़ी उद्योग सह. समिति, बण्डा | 1258/21-01-2008 | बण्डा | 818/15-03-2016 |
| 6. | अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सह. समिति, बण्डा वार्ड 3,4 | 1249/31-10-2007 | बण्डा | 819/15-03-2016 |
| 7. | रानी दुर्गावती बीड़ी उद्योग सह. समिति, कंदवा | 1235/13-08-2007 | बण्डा | 820/15-03-2016 |
| 8. | घनश्याम बीज उत्पा. सह. समि., गड़र | 1335/25-02-2010 | बण्डा | 904/16-03-2016 |
| 9. | वसुन्धराबीज उत्पा. सह. समि., भड़राना | 1337/19-07-2010 | बण्डा | 905/16-03-2016 |
| 10. | विशालराज बीज उत्पा. सह. स. मुडिया | 1475/24-02-2014 | बण्डा | 912/16-03-2016 |
| 11. | प्राथ. प्रक्षेत्र वानि. सह. समि., मंजला | 739/22-10-1998 | बण्डा | 928/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**राम जी खरे,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(355-A)

---

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित

सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मछुआ सह. समिति, खिमलासा | 1381/10-10-2011 | खुरई | 767/15-03-2016 |
| 2. | महि. बहु. सह. समिति, मंझेरा | 1164/14-01-2005 | खुरई | 778/15-03-2016 |
| 3. | महि. बहु. सह. समिति, नाउढाना | 1036/12-03-2003 | खुरई | 782/15-03-2016 |
| 4. | महि. बहु. सह. समिति, बनहट | 1163/12-01-2005 | खुरई | 790/15-03-2016 |
| 5. | हंसवाहिनी महि. बहु. सह. समिति, तोड़ाकाछी | 1166/14-01-2005 | खुरई | 791/15-03-2016 |
| 6. | महिला बहु. सह. समिति, रैंगुवा | 1178/01-02-2005 | खुरई | 792/15-03-2016 |
| 7. | प्रगति महि. बहु. सह. समिति, जगराई कला | 1199/28-04-2005 | खुरई | 793/15-03-2016 |
| 8. | महि. बहु. सह. समिति, बम्होरी नवाब | 1208/13-07-2005 | खुरई | 794/15-03-2016 |
| 9. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, रारोन | 1305/01-05-2008 | खुरई | 809/15-03-2016 |
| 10. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, रेंगुवां | 1252/14-12-2007 | खुरई | 817/15-03-2016 |
| 11. | विप. सह. समिति, खुरई | 6/25-09-1939 | खुरई | 920/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**एस. के. दुबे,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(356)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | महि. बहु. सह. समिति, गुरयाना | 1076/30-10-2003 | बीना | 780/15-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | महि. बहु. सह. समिति, सनाई | 939/23-09-2002 | बीना | 783/15-03-2016 |
| 3. | महि. बहु. सह. समिति, वेधनी | 973/14-11-2002 | बीना | 788/15-03-2016 |
| 4. | लक्ष्मी महि. बहु. सह. समिति, बेरखेड़ी टाड़ | 1124/29-06-2004 | बीना | 871/15-03-2016 |
| 5. | बीज उत्पा. सह. समिति, पार | 161/04-03-2013 | बीना | 909/16-03-2016 |
| 6. | जनता प्राथ. उप. सह. भण्डार, बीना | 249/26-02-1995 | बीना | 917/16-03-2016 |
| 7. | शिवाजी ईंट-भट्टा उद्यो. सह. समिति, गढ़ा | 1382/14-10-2011 | बीना | 924/16-03-2016 |
| 8. | महिला ईंधन आपू. सह. समिति, बीना | 1120/07-06-2004 | बीना | 934/16-03-2016 |
| 9. | संयुक्त कृषि सह. समिति, परासरी बंगला (बीना) | 163/29-02-1967 | बीना | 872/15-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**ऋषभ कुमार जैन,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(357)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, केसली

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इंद्रा गृह निर्माण सह. समिति, केसली | 17/21-04-1981 | केसली | 915/16-03-2016 |
| 2. | प्राथ. प्रक्षेत्र वानि. सह. समिति, पड़रई | 1231/21-12-2006 | केसली | 931/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**रजनीश नायक,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(358)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | महिला बहु. सह. समिति, ढावरी | 1104/25-03-2004 | मालथोन | 787/15-03-2016 |
| 2. | महिला बहु. सह. समिति, रजवांस | 1332/09-03-2009 | मालथोन | 796/15-03-2016 |
| 3. | भाग्योदय बीज उत्पा. सह. समिति, पिठोरिया | 1473/04-03-2014 | मालथोन | 911/16-03-2016 |
| 4. | ईंधन आपू. सह. समिति, बांदरी | 153/07-03-2009 | मालथोन | 935/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**आर. के. राठौर,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(359)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मत्स्यापालन सह. समिति, मैनाई धोनाई | 1470/20-01-2014 | रहली | 764/15-03-2016 |
| 2. | मछुआ सह. समिति, मोहली | 1452/16-07-2012 | रहली | 766/15-03-2016 |
| 3. | हरिजन मछुआ सह. समिति, टड़ा शाहपुर | 1477/07-05-2014 | रहली | 774/15-03-2016 |
| 4. | महि. बहु. सह. समिति, बिछिया | 826/20-05-2002 | रहली | 784/15-03-2016 |
| 5. | राधे-राधे महि. बहु. सह. समिति, झागरी | 1019/21-01-2003 | रहली | 785/15-03-2016 |
| 6. | महि. बहु. सह. समिति झूड़ा | 1139/12-08-2004 | रहली | 789/15-03-2016 |
| 7. | पं. दीनदयाल बीड़ी उद्यो. स. स. छुल्ला | 1306/31-05-2008 | रहली | 808/15-03-2016 |
| 8. | प्राथ. बीड़ी उद्योग सह. समिति, मोढारनायक | 1301/03-04-2008 | रहली | 813/15-03-2016 |
| 9. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, सोनपुर | 1300/03-04-2008 | रहली | 814/15-03-2016 |
| 10. | प्राथ. बीड़ी उद्योग सह. समिति, वलेह | 1299/03-04-2008 | रहली | 815/15-03-2016 |
| 11. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, कासलपिपरिया | 1275/06-02-2008 | रहली | 824/15-03-2016 |
| 12. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, सहजपुरीकलां | 1274/06-02-2008 | रहली | 825/15-03-2016 |
| 13. | सहारा बीड़ी उद्योग सह. समिति, वार्ड क्र. 5,6,7,8 रहली | 1273/05-02-2008 | रहली | 826/15-03-2016 |
| 14. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, खमरिया | 1272/05-02-2008 | रहली | 827/15-03-2016 |
| 15. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, तिखी | 1271/05-02-2008 | रहली | 828/15-03-2016 |
| 16. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, जरियाखिरिया | 1270/04-02-2008 | रहली | 829/15-03-2016 |
| 17. | स्नेहा बीड़ी उद्योग सह. समिति, पटनाबुंजुर्ग | 1269/04-02-2008 | रहली | 830/15-03-2016 |
| 18. | रक्षा बीड़ी उद्योग सह. समिति, बसारी | 1268/04-02-2008 | रहली | 831/15-03-2016 |
| 19. | संस्कार बीड़ी उद्योग सह. समिति, गढ़ाकोटा | 1267/04-02-2008 | रहली | 832/15-03-2016 |
| 20. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, कुमरई | 1265/31-01-2008 | रहली | 833/15-03-2016 |
| 21. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, पिपरियागोपाल | 1264/31-01-2008 | रहली | 834/15-03-2016 |
| 22. | उदय बीड़ी उद्योग सह. समिति, गुंजोरा | 1263/31-01-2008 | रहली | 835/15-03-2016 |
| 23. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, बरखेड़ागोतम | 1262/31-01-2008 | रहली | 836/15-03-2016 |
| 24. | श्री गणेश बीड़ी उद्योग सह. समिति, उदयपुर | 1261/31-01-2008 | रहली | 837/15-03-2016 |
| 25. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, रजवांस | 1314/10-07-2008 | रहली | 838/15-03-2016 |
| 26. | वनवासी बीड़ी उद्योग सह. समिति, देवलपानी | 1316/16-07-2008 | रहली | 839/15-03-2016 |
| 27. | प्राथ. बीड़ी उद्योग सह. समिति, गढ़ाकोटा | 528/30-04-1992 | रहली | 840/15-03-2016 |
| 28. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, हरदी | 1259/28-01-2008 | रहली | 846/15-03-2016 |
| 29. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, बम्होरी गरय | 1260/31-01-2008 | रहली | 847/15-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | राधे-राधे बीड़ी उद्योग सह. समिति, चनौआबुजुर्ग | 1276/13-02-2008 | रहली | 848/15-03-2016 |
| 31. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, धनगुंवा | 1277/13-02-2008 | रहली | 849/15-03-2016 |
| 32. | प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, अचलपुर | 1278/13-02-2008 | रहली | 850/15-03-2016 |
| 33. | प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, छिरारी | 1279/13-02-2008 | रहली | 851/15-03-2016 |
| 34. | प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, पाटई | 1280/13-02-2008 | रहली | 852/15-03-2016 |
| 35. | प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, जूना | 1282/18-02-2008 | रहली | 853/15-03-2016 |
| 36. | प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, बेरखेड़ी कला | 1283/18-02-2008 | रहली | 854/15-03-2016 |
| 37. | प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, घोघरा | 1284/18-02-2008 | रहली | 855/15-03-2016 |
| 38. | प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, पिपरिया डिगर्रा | 1285/18-02-2008 | रहली | 856/15-03-2016 |
| 39. | प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, चौका | 1286/18-02-2008 | रहली | 857/15-03-2016 |
| 40. | बममहादेव बीड़ी उद्योग सह. समिति, कुड़ई | 1287/18-02-2008 | रहली | 858/15-03-2016 |
| 41. | मांहरसिद्धि प्राथ.बीड़ी उद्योग सह. समिति, परासिया | 1288/18-02-2008 | रहली | 859/15-03-2016 |
| 42. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, बोरई | 1291/28-02-2008 | रहली | 860/15-03-2016 |
| 43. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, सहजपुरीखुर्द | 1292/28-02-2008 | रहली | 861/15-03-2016 |
| 44. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, मुर्गादरारिया | 1293/01-03-2008 | रहली | 862/15-03-2016 |
| 45. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, बजरंगवार्ड गढ़ाकोटा | 1294/01-03-2008 | रहली | 863/15-03-2016 |
| 46. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, सूरजपुरा (ग्रापंचा. केकरा) | 1296/29-03-2008 | रहली | 864/15-03-2016 |
| 47. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, वार्ड क्र.9 रामेश्वर वार्ड, रहली | 1297/29-03-2008 | रहली | 866/15-03-2016 |
| 48. | पेराडाइजकुक्कुट पालन सस, रहली | 1377/18-07-2008 | रहली | 873/15-03-2016 |
| 49. | रविदास चर्म उद्यो. स. स., गढ़ाकोटा | 622/10-01-1997 | रहली | 885/15-03-2016 |
| 50. | मझगुवां दुग्ध सह. समिति, मझगुंवा | 1414/03-02-2012 | रहली | 897/16-03-2016 |
| 51. | उज्जव बीज उत्पा. सह. समिति, चॉदपुर | 130/11-10-2002 | रहली | 903/16-03-2016 |
| 52. | माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सहकारी समिति सोनपुर | 1441/20-06-2012 | रहली | 908/16-03-2016 |
| 53. | गृह निर्माण सह. समिति, रहली | 17/21-04-1981 | रहली | 916/16-03-2016 |
| 54. | रहली तह. कृ. विप. सह. समिति, रहली | 37/19-06-1984 | रहली | 922/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**आर. के. केशरी,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(360)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी,राहतगढ़

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मछुआ सह. समिति, नरयावली | 1324/13-02-2009 | राहतगढ़ | 769/15-03-2016 |
| 2. | भीमरावअम्बेडकर बीड़ी उद्योग सह. समिति, सीहोरा | 1304/01-05-2008 | राहतगढ़ | 810/15-03-2016 |
| 3. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, चन्द्रापुर | 1244/31-10-2007 | राहतगढ़ | 821/15-03-2016 |
| 4. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, वार्ड क्र.9 सग 12 राहतगढ़ | 1243/31-10-2007 | राहतगढ़ | 822/15-03-2016 |
| 5. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, राहतगढ़ | 1239/10-10-2007 | राहतगढ़ | 823/15-03-2016 |
| 6. | खदान मजदूर सह. समिति राहतगढ़ | 532/08-06-1993 | राहतगढ़ | 888/15-03-2016 |
| 7. | बीज उत्पा. सह. समिति, सरखड़ी | 2/28-06-2006 | राहतगढ़ | 902/16-03-2016 |
| 8. | बीज उत्पा. सह. समिति, खैजरामाफी | 1383/14-10-2011 | राहतगढ़ | 906/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**बसंत रोहित,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(361)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ग्रा. मत्स्यपालन सह. समिति, पगारा | 1471/05-02-2014 | सागर | 763/15-03-2016 |
| 2. | मत्स्यपालन सह. समिति, करीपुर | 284/13-04-2013 | सागर | 765/15-03-2016 |
| 3. | अकृषि साख सह. समिति इतवारी प्रजापति | 803/03-06-1955 | सागर | 800/15-03-2016 |
| 4. | अकृति साख सह. समिति, तिली चौरसिया, सागर | 1017/03-05-1955 | सागर | 801/15-03-2016 |
| 5. | न. पा. कर्म. साख सह. समिति, सागर | 298/03-03-1976 | सागर | 802/15-03-2016 |
| 6. | चित्रांश कल्याण साख सह. समिति, सागर | 111/26-10-1995 | सागर | 803/15-03-2016 |
| 7. | म. प्र. पुलिस साख सह. समिति, 10वी वाहि. विशेषसशस्त्रवल सागर | 767/02-09-2002 | सागर | 804/15-03-2016 |
| 8. | म. प्र. पुलिस साख सह. समिति, 16वी बटा. मकरोनिया, सागर | 750/02-07-1999 | सागर | 805/15-03-2016 |
| 9. | बड़ा बाजार अ. ब. सह. समिति, सागर | 248/28-11-1959 | सागर | 806/15-03-2016 |
| 10. | कीर्ति अल्पबचत सह. समिति, सागर | 1115/01-05-2004 | सागर | 807/15-03-2016 |
| 11. | संत रविदास बीड़ी उद्योग सह. समिति राजीवनगर वार्ड, सागर | 1303/21-04-2008 | सागर | 811/15-03-2016 |
| 12. | लक्ष्मीनारायण बीड़ी उद्योग सह. समिति रामपुरा वार्ड, सागर | 1302/21-04-2008 | सागर | 812/15-03-2016 |
| 13. | प्राथ. बीड़ी उद्योग सह. समिति, तुलसीनगर खुशीपुरा, सागर | 1326/07-07-2009 | सागर | 841/15-03-2016 |
| 14. | शारदा बीड़ी उद्यो. सह. समिति, भगवानगंज वार्ड नं. 15, सागर | 1327/13-07-2009 | सागर | 842/15-03-2016 |
| 15. | वरदान महिला बीड़ी उद्यो. सह. समिति, ढाना | 1331/25-08-2009 | सागर | 843/15-03-2016 |
| 16. | सोनम बीड़ी उद्योग सह. समिति दयानंदवार्ड, सागर | 1333/06-10-2009 | सागर | 844/15-03-2016 |
| 17. | माँ दुर्गा बीड़ी उद्योग सह. समिति सेमराबाग, लालेपुर | 1336/18-05-2010 | सागर | 845/15-03-2016 |
| 18. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, तालचिरी | 1247/31-10-2007 | सागर | 865/15-03-2016 |
| 19. | आदर्श बीड़ी उद्योग सह. समिति, रजौआ | 1236/13-08-2007 | सागर | 867/15-03-2016 |
| 20. | हरि ओम बीड़ी उद्योग सह. समिति, मेनपानी | 1237/06-09-2007 | सागर | 868/15-03-2016 |
| 21. | इंद्रानी बीड़ी उद्योग सह. समिति, गौरा (सिमरिया) | 1254/11-01-2008 | सागर | 869/15-03-2016 |
| 22. | संत कबीर बीड़ी उद्योग सह. समिति, संतकबीर वार्ड, सागर | 1257/21-01-2008 | सागर | 870/15-03-2016 |
| 23. | अलमदद चर्म उद्योग स. स. सदर बाजार, सागर | 1313/24-06-2008 | सागर | 876/15-03-2016 |
| 24. | कृषके कल्याण सह. समिति, सागर | 122/09-04-2001 | सागर | 883/15-03-2016 |
| 25. | आदर्श प्लास्टिक स्टेशनरी वर्क्स, सागर | 760/29-04-2000 | सागर | 884/15-03-2016 |
| 26. | डॉ. अम्बेडकर चर्मकला विकास, सागर | 771/16-01-2001 | सागर | 886/15-03-2016 |
| 27. | गरीब नवाज चर्मकार स.स., सागर | 450/23-10-1989 | सागर | 887/15-03-2016 |
| 28. | हरि. फर्नी. उद्यो. सह. समिति, सागर | 329/19-05-1981 | सागर | 889/15-03-2016 |
| 29. | लुहारी सुतारी सह. समिति, सागर | 308/10-10-1977 | सागर | 890/15-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | जय श्री नारायण सह. मुद्रणा., सागर | 139/30-07-2003 | सागर | 891/16-03-2016 |
| 31. | सागर बांस उद्योग, सागर | 145/06-02-1961 | सागर | 892/16-03-2016 |
| 34. | जिला शिक्षक कल्याण, सागर | 2/27-04-1977 | सागर | 895/16-03-2016 |
| 35. | पगारा दुग्ध सह. समिति, पगारा | 1423/02-03-2012 | सागर | 896/16-03-2016 |
| 36. | रेंवझा दुग्ध सह. समिति, रेंवझा | 1395/09-02-2011 | सागर | 898/16-03-2016 |
| 37. | नारायणपुर दुग्ध सह. समि., नारायणपुर | 1386/09-02-2011 | सागर | 899/16-03-2016 |
| 38. | दुग्ध सह. समि., ढाना | 1340/04-12-2010 | सागर | 901/16-03-2016 |
| 39. | मातू बीज उत्पा. सह. समि., पडरिया | 1513/29-10-2014 | सागर | 913/16-03-2016 |
| 40. | भारतीय महि. उप. क्रय-विक्रय सह. समिति, सागर | 1238/29-09-2007 | सागर | 918/16-03-2016 |
| 41. | दि अमरकामगार पैसेजर को. आ. सोसायटी, सागर | 4/20-08-1960 | सागर | 923/16-03-2016 |
| 42. | इफको प्रवर्तित प्राथ. प्रक्षेत्र वानिकी सह. समिति, चितोरा | 48/23-06-1988 | सागर | 925/16-03-2016 |
| 43. | इफको प्रवर्तित प्राथ. प्रक्षेत्र वानिकी सह. समिति, सुरखी | 49/23-06-1988 | सागर | 926/16-03-2016 |
| 44. | वनश्री वृक्षारोपण सह. स., सागर | 105/28-07-1993 | सागर | 932/16-03-2016 |
| 45. | ईंधन आपू. सह. समिति, सागर | 109/18-10-1995 | सागर | 933/16-03-2016 |
| 46. | जिला बीड़ी सह. संघ, सागर | 152/10-10-2008 | सागर | 936/16-03-2016 |
| 47. | विद्युत कर्म गृह नि. समि., सागर | 25/19-11-1981 | सागर | 914/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**एच. के. मिश्रा,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(362)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित

सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | रैकवार मत्स्यो. सह. समिति, देवरी | 448/02-06-1989 | देवरी | 768/15-03-2016 |
| 2. | बीड़ी उद्योग सह. समिति, देवरी | 1256/18-01-2008 | देवरी | 816/15-03-2016 |
| 3. | प्रियाबीज उत्पा. सह. समिति, चरगुंवा (देवरी) | 1469/28-09-2013 | देवरी | 910/16-03-2016 |
| 4. | कृषक विप. एवं प्रक्रिया सह. स., देवरी | 121/10-01-2001 | देवरी | 919/16-03-2016 |
| 5. | प्राथ. प्रक्षेत्र वानि. सह. समिति, रायखेड़ा (सलैया) | 738/22-10-1998 | देवरी | 929/16-03-2016 |
| 6. | प्राथ. प्रक्षेत्र वानि. सह. समिति, सुना | 745/27-03-1999 | देवरी | 930/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**राकेश कुमार जैन,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(363)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर

सागर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | ब्लाक | परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | महि. बहु. सह. समिति, कनेरागोड़ | 1070/11-09-2003 | जैसीनगर | 781/15-03-2016 |
| 2. | हरिसिद्धि माँ महिला बहु. सह. समिति, अगरिया | 925/13-09-2002 | जैसीनगर | 798/15-03-2016 |
| 3. | प्रजापति ईंट खपरा उद्यो. सस. जैसीनगर | 1085/04-02-2004 | जैसीनगर | 875/15-03-2016 |
| 4. | प्राथ. प्रक्षेत्र वानि. सह. समिति, मूढ़रा | 615/30-09-1995 | जैसीनगर | 927/16-03-2016 |
| 5. | बीज उत्पा. सह. समिति, केवलारी | 157/27-07-2011 | जैसीनगर | 907/16-03-2016 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**बसंत रोहित,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी
एवं परिसमापक.

(364)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के द्वारा परिसमापनाधीन निम्नानुसार उनके नाम के आगे आदेश क्र. एवं दिनांक द्वारा परिसमपक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदा-देनदारी का निराकरण करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया हैं:—

| क्रमांक | समिति का नाम व पता | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | पुष्पावती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलहरी | 123/09-02-2013 | 258/24-03-2015 |
| 2. | बरही दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरही | 144/18-10-2012 | 560/23-04-2016 |
| 3. | डिहुटा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., डिहुटा | 145/18-10-2012 | 561/23-04-2016 |
| 4. | बरतरी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरतरी | 143/18-10-2012 | 562/23-04-2016 |
| 5. | बड़खेरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बड़खेरा | 150/18-10-2012 | 563/23-04-2016 |
| 6. | पाकर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पाकर | 151/18-10-2012 | 564/23-04-2016 |
| 7. | भखरवारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भखरवारा | 147/18-10-2012 | 565/23-04-2016 |
| 8. | अमरगढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अमरगढ़ | 148/18-10-2012 | 566/23-04-2016 |
| 9. | हथियागढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हथियागढ़ | 149/18-10-2012 | 567/23-04-2016 |
| 10. | भटगवाँ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भटगवाँ | 146/18-10-2012 | 568/23-04-2016 |

अत: मैं, ए. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचनाप्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वह इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनां से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् दावें आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवे. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

**ए. एस. तोमर,**
वरिष्ठ सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(365)

## कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता सहकारी संस्थाएं, कटनी

कटनी, दिनांक 24 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपंक/विधि/15/258.—पुष्पावती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिलहरी, वि.खं. रीठी, पंजीयन क्रमांक 123, जिला कटनी वर्तमान में अकार्यशील होने के कारण समिति सदस्यों द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2015 को कार्यालय में सभी सदस्यों का हस्ताक्षरित पत्र समिति का पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है.

अत: संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों जो मुझे वेष्ठित हैं. इस संबंध में आपकी संस्था पुष्पावती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिलहरी, वि.खं रीठी, पंजीयन क्रमांक 123, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था पुष्पावती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिलहरी, वि.खं रीठी, पंजीयन क्रमांक 123, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीठी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366)

---

कटनी, दिनांक 26 फरवरी, 2016

क्र./सपंक/परि./16/310.—ओम शांति ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., फारेस्टर वार्ड, कटनी, पं. क्र. 208, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/358, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये जाग्रति ओम शांति ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., फारेस्टर वार्ड, कटनी, पं. क्र. 208, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-A)

---

कटनी, दिनांक 26 फरवरी, 2016

क्र./सपंक/परि./16/311.—जय भवानी महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., आजाद वार्ड, कटनी, पं. क्र. 193, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/343, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये जय भवानी महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., आजाद वार्ड, कटनी, पं. क्र. 193, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-B)

कटनी, दिनांक 27 फरवरी, 2016

क्र./सपंक/परि./16/322.—माँ गायत्री महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., अम्बेडकर वार्ड, कटनी, पं. क्र. 205, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/355, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये माँ गायत्री महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., अम्बेडकर वार्ड, कटनी, पं. क्र. 205, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-C)

---

कटनी, दिनांक 27 फरवरी, 2016

क्र./सपंक/परि./16/323.—श्री सती महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., गुरूनानक वार्ड, कटनी, पं. क्र. 206, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/355, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये श्री सती महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., गुरूनानक वार्ड, कटनी, पं. क्र. 206, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-D)

---

कटनी, दिनांक 27 फरवरी, 2016

क्र./सपंक/परि./16/325.—जाग्रति महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., इंदिरा गांधी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 207, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/357, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये जाग्रति महिला ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., इंदिरा गांधी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 207, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-E)

---

कटनी, दिनांक 29 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/471.—दुर्गा उप. सहकारी भण्डार मर्या., महाराणा प्रताप वार्ड, कटनी, पं. क्र. 162, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/312, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये दुर्गा उप. सहकारी भण्डार मर्या., महाराणा प्रताप वार्ड, कटनी, पं. क्र. 162, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-F)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/484.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुबराधरी, पं. क्र. 178, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/328, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुबराधरी, पं. क्र. 178, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-G)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/485.—पुरैनी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बालगंगाधर तिलक वार्ड, कटनी, पं. क्र. 190, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/340, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये पुरैनी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बालगंगाधर तिलक वार्ड, कटनी, पं. क्र. 190, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-H)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/486.—जय माता महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जगमोहनदास वार्ड, कटनी, पं. क्र. 194, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/344, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये जय माता महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जगमोहनदास वार्ड, कटनी, पं. क्र. 194, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-I)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/487.—जन सेवा महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जालपा देवी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 199, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/349, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये जन सेवा महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जालपा देवी वार्ड, कटनी, पं. क्र. 199, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-J)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/488.—सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., कटनी, पं. क्र. 210, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/360, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., कटनी, पं. क्र. 210, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-K)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/489.—खाद्य अखाद्य तेल एवं ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., ईश्वरीपुरा वार्ड, कटनी, पं. क्र. 220, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/369, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये खाद्य अखाद्य तेल एवं ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., ईश्वरीपुरा वार्ड, कटनी, पं. क्र. 220, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-L)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/490.—हनुमानगंज महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., हनुमानगंज वार्ड, कटनी, पं. क्र. 203, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/353, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये हनुमानगंज महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., हनुमानगंज वार्ड, कटनी, पं. क्र. 203, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-M)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/491.—चौहान उत्खनन सहकारी समिति मर्या., कैमोर, पं. क्र. 216, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/365, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये चौहान उत्खनन सहकारी समिति मर्या., कैमोर, पं. क्र. 216, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-N)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/492.—पाण्डव श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., विजयराघवगढ़, पं. क्र. 217, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/366, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये पाण्डव श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., विजयराघवगढ़, पं. क्र. 217, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-O)

---

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./सपंक/परि./16/493.—प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खलवारा, पं. क्र. 175, दिनांक 6 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/325, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खलवारा, पं. क्र. 175, दिनांक 6 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-P)

## कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपक/परि./2016/560.—बरही दुग्ध सह. समिति मर्या., बरही पं. क्र. 144, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपक/परि./2016/ 226, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-Q)

---

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपक/परि./2016/561.—डिहुटा दुग्ध सह. समिति मर्या., डिहुटा पं. क्र. 145, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपक/ परि./2016/ 227, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-R)

---

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपक/परि./2016/562.—बरतरी दुग्ध सह. समिति मर्या., बरतरी पं. क्र. 143, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपक/ परि./2016/ 225, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-S)

---

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपक/परि./2016/563.—बड़खेरा दुग्ध सह. समिति मर्या., बड़खेरा पं. क्र. 150, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपक/परि./2016/ 232, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-T)

---

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपक/परि./2016/564.—पाकर दुग्ध सह. समिति मर्या., पाकर पं. क्र. 151, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपक/परि./2016/ 233, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-U)

---

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपक/परि./2016/565.—भखरवारा दुग्ध सह. समिति मर्या., भखरवारा पं. क्र. 147, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपक/परि./2016/ 229, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-V)

---

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपक/परि./2016/566.—अमरगढ़ दुग्ध सह. समिति मर्या., अमरगढ़ पं. क्र. 148, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपक/परि./2016/ 230, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-W)

---

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपक/परि./2016/567.—हथियागढ़ दुग्ध सह. समिति मर्या., हथियागढ़ पं. क्र. 149, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपक/परि./2016/ 231, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-X)

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./सपंक/परि./2016/568.—भटगवॉ दुग्ध सह. समिति मर्या., भटगवॉ पं. क्र. 146, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंक/परि./2016/ 228, कटनी, दिनांक 16 फरवरी, 2016 दिया गया था तथा जवाब देने के लिये 60 दिन की समयावधि दी गई थी.

अत: निर्धारित अवधि में संस्था की ओर से उक्त आरोपों का कोई भी उत्तर संस्था की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे स्पष्ट हैं कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं संस्था की उपविधि में वर्णित प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया गया है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय हो गई है ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 1999-पन्द्रह-एक/डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं. इस सम्बन्ध में आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी बहोरीबंद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**भरत कुमार मोदी,**
सहायक आयुक्त, सहकारिता.

(366-Y)

---

## कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष/प्रशासक

मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बट्टसडेरी.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बट्टसडेरी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के प्रशासक द्वारा यह लेख किया गया है कि संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है एवं कोई भी रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा. संस्था के प्रशासक के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष/प्रशासक

सदभाव महिला प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., गढ़ीमलहरा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि सदभाव महिला प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., गढ़ीमलहरा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के प्रशासक द्वारा यह लेख किया गया है कि संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है एवं कोई भी रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा. संस्था के प्रशासक के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-A)

---

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष/प्रशासक

बहुधंधी सहकारी समिति मर्या., जमीदारीपुरवा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बहुधंधी सहकारी समिति मर्या., जमीदारीपुरवा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के प्रशासक द्वारा यह लेख किया गया है कि संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है एवं कोई भी रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा. संस्था के प्रशासक के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-B)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., टपरियन.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 501/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., टपरियन (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-C)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बसारी.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 501/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बसारी (जिसे आगे केवल

संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-D)

---

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., वेडरी.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 501/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., वेडरी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-E)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष/प्रशासक

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सिंहपुर.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 501/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सिंहपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-F)

---

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष/प्रशासक

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मऊ.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 501/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मऊ (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-G)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कुर्रा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 501/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कुर्रा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-H)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., विहटा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 501/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., विहटा (जिसे आगे केवल

संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-I)

**"कारण बताओ सूचना-पत्र"**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मनकारी.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 499/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मनकारी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-J)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खिरवा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 499/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खिरवा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुंर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-K)

---

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कालापानी.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 499/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कालापानी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-L)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नंदगायंकला.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 499/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नंदगायंकला (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-M)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., परापट्टी.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 499/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., परापट्टी

(जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-N)

---

**"कारण बताओ सूचना-पत्र"**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., वोडा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 499/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., वोडा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-O)

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बराकीरतपुरा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 499/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बराकीरतपुरा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(368-P)

---

**''कारण बताओ सूचना-पत्र''**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ढोगरा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड देरी विकास परियोजना छतरपुर के पत्र क्रमांक 499/बी. डी. पी./छतरपुर/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ढोगरा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया है. बुन्देलखण्ड देरी परियोजना छतरपुर के उक्त लेख से यह स्पष्ट होता है कि :—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**अखिलेश कुमार निगम,**
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(368-Q)

---

## कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. छतरपुर, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./परि./13.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग सागर द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., छतरपुर पंजीयन क्रमांक/सी.एच.टी.पी.आर./एच.ओ./78, दिनांक 25 फरवरी, 1962 को आदेश क्रमांक विधि/2016/167, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के तहत् परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, की धारा-70 के अंतर्गत मुझे उपायुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, अखिलेश कुमार निगम, उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उपनियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत सूचित करता हूँ कि जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., छतरपुर के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्रों के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेगें.

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी. उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर संभाग सागर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**अखिलेश कुमार निगम,**
उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक.

(369)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 29 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/288.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 85, दिनांक 31 जनवरी, 2015 के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सोण्डवा पंजीयन क्रमांक 305, दिनांक 25 फरवरी, 1965 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विजय दिशौरिया, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया है.

(367)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 442, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा आजाद ताडी गुड उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलखेडी पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विजय दिशौरिया, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया है.

**अम्बरीष वैद्य,**
उप-पंजीयक.

(367-A)

---

## कार्यालय परिसमापक जय गुरुदेव सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन

दिनांक 21 अप्रैल, 2016, 22 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू./2016.—जय गुरुदेव सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1628, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/380/09 मार्च, 2016, खरगोन, दिनांक 09 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, एच.सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक जय गुरुदेव सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

**एच. सी. यादव,**
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(372)

## कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुमांडली, तहसील गोगावां, जिला खरगोन

दिनांक 11 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./क्यू./2016.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुमांडली, तहसील गोगावां, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1581, दिनांक 12 सितम्बर, 2009 है, को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/333, खरगोन, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गोगावां एवं परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुमांडली, तहसील गोगावां, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(331)

---

## कार्यालय परिसमापक माँ भगवती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन

दिनांक 11 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./क्यू./2016.—माँ भगवती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N/1603, दिनांक 07 फरवरी, 2011 है, को उप-आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/333, खरगोन, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गोगावां एवं परिसमापक माँ भगवती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

**मनोहर वास्कले,**
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(331-A)

---

## कार्यालय परिसमापक मुस्कान ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 21 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q1.—मुस्कान ईंधन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 04 जुलाई, 2008 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 707, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित

किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373)

## कार्यालय परिसमापक राधा कृष्ण प्रिंटिंग एवं प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 21 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q2.—राधा कृष्ण प्रिंटिंग एवं प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 569, दिनांक 24 मई, 2011 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 709, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-A)

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., छिरारी, तह. करैरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., छिरारी, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 65, दिनांक 04 फरवरी, 2004 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 778, दिनांक 07 मई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-B)

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सिंगदऊआ, तह. नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सिंगदऊआ, तह. नरवर,, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 75,

दिनांक 05 मार्च, 2004 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-C)

---

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कूंड, तह. करैरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कूंड, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 112, दिनांक 26 अगस्त, 2004 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1116, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-D)

---

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रामनगर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रामनगर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 28 अगस्त, 2004 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-E)

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., टोडा रामपुरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., टोडा रामपुरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 113, दिनांक 27 अगस्त, 2004 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1115, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-F)

---

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., फूलपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., फूलपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 116, दिनांक 28 अगस्त, 2004 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-G)

---

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सुनारी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सुनारी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 117, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-H)

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., जैतपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., जैतपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 124, दिनांक 06 अक्टूबर,2004 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-I)

---

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., उरवाहा, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., उरवाहा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 13 मार्च, 2003 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 776, दिनांक 07 मई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-J)

---

## कार्यालय परिसमापक महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सोन्हा क्र. 2, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सोन्हा क्र. 2, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 44, दिनांक 08 अक्टूबर, 2003 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-K)

## कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., थरखेड़ा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., थरखेड़ा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 08 अक्टूबर, 2003 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-L)

---

## कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कारोंठा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कारोंठा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 16 मार्च, 2003 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1113, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-M)

---

## कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., जुझाई, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., जुझाई, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 47, दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 798, दिनांक 10 मई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-N)

## कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मुंगावली, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मुंगावली, तहसील करैरा,, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 22 अक्टूबर, 2003 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1112, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-O)

---

## कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मगरौनी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मगरौनी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 05 दिसम्बर, 2003 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 797, दिनांक 10 मई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(373-P)

---

## कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या.,ख्यावदा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.16/Q1.—महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., ख्यावदा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 64, दिनांक 19 जनवरी, 2004 है को, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

**अनिल श्रीवास्तव,**
परिसमापक.

(373-Q)

## कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

**संशोधित आदेश**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/954.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/274, दिनांक 10 फरवरी, 2016 द्वारा जिला कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., राजगढ़ को परिसमापन में लाया जाकर उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजगढ़ को परिसमापक नियुक्त किया गया था एवं आदेश क्रमांक 343/23 फरवरी, 2016 से आंशिक संशोधन जारी किया गया था.

अत: मैं, आर. के. शर्मा, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 का उपयोग करते हुए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ का पद वर्तमान में रिक्त होने से उप-पंजीयक राजगढ़ के पदस्थी होने तक श्री आर. एस. गनावे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

**आर. के. शर्मा,**
संयुक्त पंजीयक.

(370)

---

## कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., धार, जिला धार

धार, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/40.—जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., धार, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.एच.आर./एच.ओ./64, दिनांक 13 नवम्बर, 1961 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्र./साख/2016/324, इन्दौर, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक के 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होगें. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**ओ. पी. गुप्ता,**
परिसमापक एवं उप-आयुक्त.

(371)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2016-वैशाख 30, शके 1938


## भाग 3 ( 2 )

निरंक